न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या	:	60/2024
दायर दिनांक	:	06.08.2024
निर्णय दिनांक	:	03.03.2025

1. मिथलेश शर्मा पत्नी चन्द्रमोहन शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी कॉलोनी जोशीयान मौहल्ला जसोता तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम बनेठा तहसील दौसा जिला दौसा का रहने वाला है। ग्राम बनेठा तहसील दौसा जिला दौसा में प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 201, 202, 204, 205 कुल किता 4 कुल रकबा 0.96 है० स्थित है, जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी की उक्त भूमि का दिनांक 19.06.2024 को सीमाज्ञान हो चुका है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे एवं किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर मय पुलिस जाब्ता पत्थरगढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बनेठा तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 201, 202, 204, 205 कुल किता 4 कुल रकबा 0.96 है० का मय पुलिस जाब्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करा दिया गया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करा दिया गया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खाते में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है एवं उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम बनेठा तहसील दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

स्थित भूमि खसरा नम्बर 201, 202, 204, 205 कुल किता 4 कुल रकबा 0.96 है. का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थी की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:27 IST
Reason: SelfAttested